भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 643
8 फरवरी, 2023 को उत्तरार्थ

सहकारी चीनी मिलें

643. डा. अशोक कुमार मित्तलः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में कितनी सहकारी चीनी मिलें पंजीकृत हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चीनी उत्पादक सहकारी समितियों को राज सहायता देने के लिए कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य सहित तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह नीति उस उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम रही है जिसके लिए एनएमएम की स्थापना की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इस नीति के लिए कुल कितनी राशि जारी की गई और वास्तविक रूप से इस पर कितनी राशि खर्च की गई ?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार देश भर में 316 सहकारी चीनी मिल पंजीकृत हैं । राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है ।

यद्यपि, सहकारी मिलों के लिए कोई पृथक सब्सिडी योजना नहीं है लेकिन सभी सहकारी मिल, जिसमें सहकारी क्षेत्र के मिल भी शामिल हैं, को वर्ष 2018-21 के दौरान बफर स्टॉक सब्सिडी और निर्यात सब्सिडी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई है । इन योजनाओं का मूल उद्देश्य चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था ताकि इन मिलों द्वारा किसानों को गन्ने के बकाए का निपटान किया जा सके । इसके अलावा, इन योजनाओं के अंतर्गत सहकारी चीनी मिलों सहित सभी चीनी मिलों को कुल 16,776.22 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया । योजना-वार संवितरण का विवरण **अनुबंध-II** पर देखा जा सकता है ।

प्रत्येक चीनी मिलों द्वारा एक पृथक एस्क्रो खाता खोला गया जिसमें सब्सिडी की राशि जमा की गई जिसे किसानों को उनके बकाए के निपटान हेतु जारी किया गया था और उसके बाद चीनी मिलों को भुगतान की शेष राशि दी गई । किसानों को गन्ने के बकाया, जो गन्ना मौसम 2018-19 में अपनी चरम पर था, को गन्ना मौसम 2020-21 में 99.9% तक की कमी हुई और पूर्व के मौसमों के बकाए का निपटान किया गया, जबकि चीनी मिलों द्वारा गन्ना मौसम 2021-22 के 99% गन्ने के बकाए का निपटान किया गया है । अत:, योजनाओं ने अपने उद्देश्य प्राप्त किए ।

संशोधित अनुमान 2022-23 के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को सहकारी चीनी मिलों सहित चीनी मिलों को देने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए आवंटित किया गया ।

*****

अनुबंध -I

इंस्टॉल्ड सहकारी चीनी फैक्ट्री का राज्य-वार संख्या (31.01.2023 की स्थिति के अनुसार)		
क्रम सं.	**राज्य /संघ राज्यक्षेत्र**	**चीनी मिलों की संख्या**
1.	पंजाब	16
2.	हरियाणा	13
3.	उत्तर प्रदेश	28
4.	उत्तराखंड	4
5.	महाराष्ट्र	155
6.	असम	2
7.	राजस्थान	1
8.	ओडिशा	4
9.	गुजरात	24
10.	आंध्र प्रदेश	13
11.	तेलंगाना	1
12.	कर्नाटक	26
13.	तमिल नाडु	16
14.	मध्य प्रदेश	5
15.	छत्तीसगढ़	4
16.	केरल	1
17.	पुड्डुचेरी	1
18.	गोवा	1
19.	दादरा एवं नगर हवेली	1
	कुल	**316**

अनुबंध-II

वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सहकारी चीनी मिल सहित सभी चीनी मिलों को निधि का योजना-वार संवितरण

क्रम सं.	योजना का नाम	संवितरित राशि (करोड़ रुपए)
1	वर्ष 2017-18 के लिए चीनी मिलों को सहायता की योजना	439.12
2	वर्ष 2018-19 के लिए चीनी मिलों को सहायता की योजना	3022.14
3	वर्ष 2019-20 के लिए चीनी मिलों को सहायता की योजना	6121.26
4	एथनॉल उत्पादन क्षमता आदि की वृद्धि व संवर्धन हेतु चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने की योजना	310.00
5	सुलभ ऋण	518.00
6	30 लाख मेट्रिक टन चीनी के बफर स्टॉक का निर्माण व अनुरक्षण	826.30
7	40 लाख मेट्रिक टन चीनी के बफर स्टॉक का निर्माण व अनुरक्षण	1206.96
8	चीनी मौसम 201819 के लिए आंतरिक परिवहन हेतु व्यय में कटौती की योजना	853.68
9	चीनी मौसम 2020-21 के दौरान हथालन, उन्नयन व अन्य प्रसंस्करण लागतों सहित विपणन लागत और चीनी निर्यात पर अंतर्राष्ट्रीय व आंतरिक परिवहन तथा माल ढुलाई शुल्क पर व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना	3478.76
	कुल	**16776.32**